

# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी देवगढ़ जिला राजसमन्द

पीठारीन अधिकारी : श्री मोहकम सिंह शिनशिनवार, आर.ए.एस.  
(जीसीएमएस नं. 2025/109)

प्रकरण संख्या:- 70/2025

तारीख दायर:- 25/07/2025

निर्णय दिनांक:-30/10/2025

## उनवान

1. भैरूसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. लालसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. श्रवणसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
4. कैलाशसिंह पिता पूनमसिंह जाति रावत निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

प्रार्थीगण

## बनाम

1. कालूसिंह पिता डुंगरसिंह जाति रावत निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
2. घीसा पिता हमरता जाति रायका निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द
3. नाथु लाल पिता किशना जाति सालवी निवासी आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द

## अप्रार्थीगण

प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज. भू0 राजस्व अधिनियम 1956

:: निर्णय ::

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थीगण अधिवक्ता द्वारा प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 111-128 राज0 भू0 राजस्व अधिनियम 1956 के तहत प्रस्तुत कर निवेदन किया कि प्रार्थीगण के स्वामित्व, आधिपत्य, खातेदारी एवं कब्जे की भूमि राजस्व ग्राम आंजना पटवार मण्डल आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 295 आराजी संख्या 1465 कुल कित्ता 01 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 151 आराजी संख्या 1124, 1127, 1128, 1130, 1131, 1133, 1135 कुल कित्ता 07 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर भूमि स्थित है। प्रार्थीगण की जमीन के समीप अप्रार्थीगण की जमीन होकर मौके पर मिली हुई है। जिससे फसल बुवाई के समय विवाद होता रहता है। उक्त आराजियात की पत्थरगढ़ी हेतु प्रार्थीगण द्वारा निवेदन किया गया है।

प्रस्तुत प्रार्थना-पत्र इस न्यायालय में दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 बावजूद सूचना तामिल के अनुपस्थित रहने से अप्रार्थी संख्या 01, 02, 03 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिए गए।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की एकतरफा बहस सूनी गई। बहस पर मनन किया गया। पत्रावली व पत्रावली पर उपलब्ध रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। पत्थरगढ़ी द्वारा किसी प्रकार का



कब्जा संपूर्ण नहीं किया जाता है। वैसे भी विधि में प्रत्येक खातेदार को अपनी भूमि को सीमाज्ञान/पत्थरगढ़ी कराये जाने का अधिकार निहित कर रखा है। अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाता है।

—:आदेश:—

प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते हैं कि राजस्व ग्राम ग्राम आंजना पटवार मण्डल आंजना तहसील देवगढ़ जिला राजसमन्द में खाता संख्या 295 आराजी संख्या 1465 कुल किता 01 कुल रकबा 0.3700 हैक्टेयर एवं खाता संख्या 151 आराजी संख्या 1124, 1127, 1128, 1130, 1131, 1133, 1135 कुल किता 07 कुल रकबा 1.5200 हैक्टेयर भूमि की पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तो पत्थरगढ़ी कराये जाने हेतु तहसीलदार देवगढ़ को आदेशित किया जाता है कि पत्थरगढ़ी से पूर्व उभयपक्षों (खातेदारान् एवं विपक्षीगण/पडौसी खातेदारान्) को पूर्व में ही तिथि एवं समय निर्धारण संबंधी सूचना पत्र जारी किया जावे। न्यायालय में कोई वाद विचाराधीन अथवा स्थगन आदेश प्रभावी नहीं होने की शर्त पर पत्थरगढ़ी/सीमांकन की कार्यवाही की जावे। पत्थरगढ़ी आदेश को कब्जा संपूर्णगी आदेश नहीं समझा जावे। वक्त सीमांकन प्रार्थी अपनी भूमि पर सीमाचिन्ह स्वयं के खर्च पर स्थापित करे। पालना हेतु तहसीलदार देवगढ़ को लिखा जावे पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जावे।



(मोहकम सिंह सिनसिनिवार R.A.S.)  
उपखण्ड अधिकारी देवगढ़  
जिला राजसमन्द राज.)